25/11-8 12016/14-1

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश

**मर**य प्रदेश शा**र** कृषि विभाग [आस्ता-]

एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./196

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 5368/2015 (एस) द्वारा श्री गजराज सिकरवार विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् ।

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में श्री गजराज सिकरवार द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5368/2015 (एस) द्वारा श्री गजराज सिकरवार विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य दायर की गई है।

अतः याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 5368 / 2015 (एस) में प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर को नियुक्त किये जाने हेतु याचिका की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की 10 प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकरण में शासन पक्ष एवं समर्थन हेतु प्रभारी अधिकारी/की नियुक्ति उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे ।


अपर संचालक(स्था०)

अवर सचिव, म०प्र० शासन, किसान/कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

801 281116 2811116

29 11-8 /2016/14-1 2 Auril 2916 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश एकल न0क0 अ-1-ब/स्था/को.के./196 विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० 5368/2015 (एस) द्वारा श्री गजराज सिकरवार विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत् । प्रवी घटि ते! -N-1/C ofun 3-192 Herrold (Zanian) Agent Janior Mai Eta Pareiro 22 3200 Aromino 79 266-1 A AID ALVIA DI BAOWIND - 155) BILLING युश्वी अधिकारी, उपर्याचालाइ किलान उत्माना लगा दिन formize formi partitue and fargen - Azar sini THIS MED NAME 25-05-15 34 20015-11 - 24-24 & md 2016 0-5 (4) अविमार्थाय मन्तर 247 32 12/0/18 14 14 77 (क) यथामातावित । DA 1619116

204 11-8/2016/14-1 विषय:-अगन्त्र ज्ञानंतु उक्तारं कीर 5368/2015 ( हान) मानी र छब्बीस-२ सचिवालय प्रवे तरह हो \_ क्पमा प्रवीत्रम . 2 में किसे अनुमोदन अनुसार प्रशारी अविकारी के निष्ठिम कर्न 3म्बरा ही त्याचा अमिमां हरताकारार्थ प्रस्तुत । अनु,श्रीटाः 16/2/16 क्षमा जारी काने के रव अवलोकना थी 1 Anny ostes) मध्य मुद्रामित THE PER 46667



## मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ-11 / 8 / 2016 / 14-1

भोपाल,दिनाँक :- 39- 2:11

//आदेश//

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनयम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम) तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला खालियर (पक्षकारों के नाम श्री गजराज सिकरवार) विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी० 5368/2015 (एस) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गए है, निम्नलिखित कार्य करेगा:—

- (1) प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाऐं तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पेरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- (6) शासकीय अधिवक्ता की सहायता ।
- (7) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।

(15) प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अवर सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल

B

पृ०क्रमांक / एफ-11 /**० %** / 2011 / 14-1 प्रतिलिपि:- भोपाल,दिनाँक : 29. 2. / ६

- 1 39 महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर म.प्र।
- 2 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल ।
- 3 संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र भोपाल.।
- 4 संबंधित जिलाध्यक्ष, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
- 6 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला ग्वालियर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
- 7 आदेश नस्ती ।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल

那一旦。

HE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: Bench at **GWALIOR** Process Id: 38509/2015 WP/5368/2015 Fixed for 21-01-2016 From WP-DA-7 Deputy Registrar, Respondent No. 1

High Court of M.P. at Gwalior

FOR ADMISSION AND IR

RAD

To.

The State Of Madhya Pradesh Thr., Principal Secretary, farmer Welfare & Agriculture Development Department, Vallbh Bhabhan, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 23-12-2015

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 5368/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Gajraj Sikerwar has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/5368/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

AFFIXED AT GWALLOO

Your faithfully

SECTION OFFICER

Section Officer Fligh Court Of Madhya Pradech

Bench file at w